राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2102/2016

ओम प्रकाश बिश्नोई पुत्र स्व. सुरजन राम बिश्नोई, उम्र लगभग 54 वर्ष, निवासी मॉडर्न रेलवे स्टेशन के पास, जिला जालोर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग बीकानेर, राजस्थान।
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग जोधपुर, राजस्थान।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जालौर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री महेंद्र विश्नोई
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री हेमन्त चौधरी, जी.सी. श्री विशाल जांगिड़, उप.जी.सी.

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

<u>18/04/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 21.09.2015 के आदेश (अनुलग्नक 11) से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार उसे इस आधार पर पदोन्नति का लाभ देने से मना कर दिया गया था कि उसकी स्नातकोत्तर डिग्री यानी एम.कॉम. अकाउंटिंग और बिजनेस स्टेटिस्टिक्स के साथ (जिसे आगे 'एम.कॉम. एबीएसटी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा), सेवा रिकॉर्ड में नहीं है और याचिकाकर्ता ने पदोन्नति के लिए अनंतिम सूची जारी होने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी।

2. मामले के सुसंगत तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1988 में शिक्षक ग्रेड-III के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद दिनांक 28.08.2003 के

आदेश के तहत शिक्षक ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत किया गया था। उस पर कभी भी कोई विभागीय जांच या किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं लगाया गया है।

2.1 दिनांक 23.03.2015 के आदेश के तहत शिक्षक ग्रेड-II के पद पर कार्यरत कनिष्ठ व्यक्तियों को स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत करने का आदेश दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को नहीं। उन्होंने लिखित संचार के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 को अभ्यावेदन दिया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

2.2 व्यथित, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 6932/2015 दायर की और इस अदालत ने प्रतिवादियों को एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के निर्देश के साथ मामले का फैसला किया। हालाँकि, दिनांक 21.09.2015 के आदेश (अनुलग्नक 11) के तहत, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। इसलिए यह याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा अपने उत्तर में बचाव में यह तर्क दिया गया है कि:

3.1 दिनांक 23.03.2015 के आदेश (अनुलग्नक 5) के अनुसार पात्र अध्यापक ग्रेड-II को डीपीसी की अनुशंसा के आधार पर व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। जब याचिकाकर्ता का नाम पदोन्नत अभ्यर्थियों की सूची में शामिल नहीं था, तो उसने कारणों के बारे में पूछताछ की। उसे बताया गया कि वह अपने सेवा अभिलेख में एम.कॉम की योग्यता की डिग्री प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इसके बाद उसने 30.03.2015 को निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करके अपने सेवा अभिलेख में एम.कॉम की अतिरिक्त योग्यता जोड़ने के लिए अपेक्षित प्रपत्र और दस्तावेज प्रस्तुत किए (अनुलग्नक 4)। इसलिए, इससे पहले आयोजित डीपीसी द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का कोई कारण नहीं था। क्योंकि उस समय याचिकाकर्ता के सेवा अभिलेख के अनुसार, उसके पास एम.कॉम (एबीएसटी) की योग्यता नहीं थी। इस प्रकार वह ए.बी.एस.टी. विषय में व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के रूप में पदोन्नत होने के योग्य नहीं था। इसलिए याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है और याचिका खारिज की जाए।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अपने विचार-विमर्श के पश्चात, मैं यह देखने के लिए बाध्य हूँ कि प्रतिवादियों ने अपने उत्तर में याचिकाकर्ता को उसके समकक्षों के साथ पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अवसर से वंचित करने में पूर्णतः झूठा बचाव किया है, इस स्पष्ट आधार पर कि उसने विभाग को अपने स्नातकोत्तर अर्थात् एम.कॉम. विद ए.बी.एस.टी. होने की जानकारी नहीं दी थी।

5. यह बहुत ही पेचीदा और हैरान करने वाला है कि याचिकाकर्ता, जिसने वर्ष 1984 में अर्थात् अपनी नियुक्ति से बहुत पहले एम.कॉम. विद ए.बी.एस.टी. की डिग्री प्राप्त की थी और प्रारंभिक चयन प्रक्रिया में अपनी योग्यता स्थापित करने के उद्देश्य से उक्त अतिरिक्त योग्यता पर भी भरोसा किया था, को पदोन्नति के लिए इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि उसने सेवा रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के लिए अपनी एम.कॉम. डिग्री की जानकारी नहीं दी थी।

6. यदि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता द्वारा एम.कॉम. की डिग्री प्राप्त करने की विश्वसनीयता पर कोई संदेह था, तो वे याचिकाकर्ता को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय ही उक्त डिग्री के सत्यापन पर विभाग को गुमराह करने के लिए परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते थे।

7. केवल इस आधार पर कि बाद में याचिकाकर्ता ने डिग्री प्रस्तुत नहीं की, जबकि उसे ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं गया था, उसके साथ उसके समकक्षों की तुलना में असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता, जिन्हें पदोन्नत किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार उसके साथ बिना किसी गलती के शत्रुतापूर्ण भेदभाव किया गया।

8. परिणामस्वरूप, मेरा विचार है कि दिनांक 21.09.2015 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 11) संधारणीय नहीं है। इसे अपास्त किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर आज से तीन महीने की अवधि के भीतर उसके समकक्षों के समान पदोन्नति के लिए उसकी एम.कॉम. (एबीएसटी) डिग्री पर विचार करें और उसे इससे उत्पन्न होने वाले सभी आभासी लाभ प्रदान करें।

9. उस अवधि के दौरान जब याचिकाकर्ता ने पदोन्नति वाले पद पर काम नहीं किया, जबकि उसके समकक्षों को उससे पहले पदोन्नत किया गया था, वह 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत पर किसी भी वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा, क्योंकि उसने ऐसे पद पर काम किया था जो उसके समकक्षों से एक रैंक नीचे है।

10. उपरोक्त शर्तों के तहत रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।